

for research work during the year 1991-92, 1992-93 and 1993-94; and

(b) what is the district-wise number of research scholars out of them who belong to minorities?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPTT. OF EDUCATION AND DEPTT. OF CULTURE) (KUMARI SELJA); (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the Houses.

देश में छात्रों का प्रतिशत

1610. श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1992-93 और 1993-94 के वर्षों के दौरान देश में शिक्षा पाने वाले छात्रों का क्रमशः राज्य-वार प्रतिशत क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में (शिक्षा और संस्कृति विभाग) में उपमन्त्री (कुमारी शैलजा) : ज्योरा विवरण के रूप में सलगन है :-

विवरण

I. वर्ष 1991-92 के दौरान देश के विभिन्न शैक्षिक स्तरों पर अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों की अनुमानित प्रतिशतता

राज्य/संघशासित प्रदेश	प्राथमिक* (i-v)	मिडिल* (vi-viii)	उच्च/उच्चतर माध्यमिक (ix-xii)	विश्वविद्या- लय एवं उच्चतर शिक्षा
1	2	3	4	5
1. आन्ध्र प्रदेश	109.2	57.2	23.9	5.8
2. अरुणाचल प्रदेश	109.4	47.0	25.3	—
3. असम	112.8	62.3	29.1	3.1
4. बिहार	80.5	37.0	14.8	3.6
5. गोवा	101.4	104.2	53.3	9.7
6. गुजरात	120.5	71.9	31.6	6.2
7. हरियाणा	86.8	63.6	36.3	5.9
8. हिमाचल प्रदेश	117.0	110.5	37.5	7.1
9. जम्मू और कश्मीर	86.9	61.7	23.5	4.0
10. कर्नाटक	111.1	56.5	28.4	5.9
11. केरल	99.1	105.2	44.6	5.4
12. मध्य प्रदेश	104.5	55.5	16.0	4.6
13. महाराष्ट्र	126.0	79.5	38.5	7.9
14. मणिपुर	110.6	62.9	45.2	7.7
15. मेघालय	64.5	58.5	21.9	3.7

1	2	3	4	5
16. मिजोरम	136.4	74.4	25.4	1.8
17. नागालैण्ड	109.4	68.6	24.4	3.8
18. उड़ीसा	103.4	51.6	31.4	2.0
19. पंजाब	98.4	72.8	39.9	7.7
20. राजस्थान	79.2	44.9	23.0	4. .
21. सिक्किम	120.0	48.2	23.3	.
22. तमिलनाडु	135.2	98.0	36.7	7.6
23. त्रिपुरा	132.6	80.7	28.2	5.4
24. उत्तर प्रदेश	86.9	61.6	25.2	4.0
25. पश्चिम बंगाल	124.1	64.9	26.8	8.8
26. झंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	82.4	82.0	51.4	7.0
27. रांडीगढ	160.4	67.2	69.5	17.6
28. शारदा और नगर हवेली	101.9	45.9	22.8	—
29. बरन और दीव	†	†	†	†
30. दिल्ली	87.3	81.7	50.2	11.9
31. लक्षद्वीप	145.9	107.8	53.4	—
32. पाण्डिचेरी	142.0	126.5	47.0	6.6
भारत	102.7	61.2	27.7	5.3

*यह विन्दु इस बात का सूचक है कि प्राथमिक और मिडिल स्तरों पर क्रमशः 6-11 वर्षों और 11-14 वर्षों के आयु-वर्गों में दाखिलों की संख्या सम्मिलित है। इन प्रतिशतताओं में प्राथमिक स्तर पर छः वर्ष से नीचे तथा ग्यारह वर्ष से ऊपर तथा शिक्षा के मिडिल स्तरों पर 11 वर्ष से नीचे और 14 वर्ष से ऊपर के आयु-वर्गों में कम आयु के तथा अधिक आयु के बच्चों के दाखिले शामिल हैं।

†गोघा में सम्मिलित

II. वर्ष 1992-93 के दौरान देश में विभिन्न शैक्षिक स्तरों पर अध्ययन कर रहे विद्या विधियों की अनुमानित प्रतिशतता

राज्य/संघशासित प्रदेश	प्राथमिक* (i-v)	मिडिल* (vi-viii)	उच्च/उच्चतर माध्यमिक (ix-xii)	विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा
1	2	3	4	5
1. झारख प्रदेस	109.2	55.9	22.8	6.0
2. झरुणाचल प्रदेस	111.5	49.7	26.8	—

1	2	3	4	5
3. असम	111.5	62.1	28.6	3.2
4. बिहार	81.4	37.1	17.8	3.6
5. गोवा	100.5	99.4	54.5	10.5
6. गुजरात	129.8	73.0	33.2	6.5
7. हरियाणा	87.0	63.0	37.1	5.9
8. हिमाचल प्रदेश	118.0	110.8	44.8	7.2
9. जम्मू और कश्मीर	88.7	65.1	23.4	4.1
10. कर्नाटक †	115.0	61.0	33.1	6.0
11. केरल	97.5	105.0	45.8	5.5
12. मध्य प्रदेश	103.2	71.9	15.6	4.6
13. महाराष्ट्र	136.3	81.8	39.6	8.0
14. मणिपुर	110.5	60.9	46.3	8.0
15. मेघालय	75.2	40.1	23.0	3.7
16. मिजोरम	135.5	73.0	29.5	1.7
17. नागालैण्ड	105.7	69.3	25.9	3.3
18. उड़ीसा	105.4	60.2	33.0	2.9
19. पंजाब	100.1	74.0	40.3	7.9
20. राजस्थान	87.1	53.3	23.3	4.4
21. सिक्किम	118.1	54.1	23.3	—
22. तमिलनाडु	136.5	100.1	37.9	7.9
23. त्रिपुरा	131.7	84.2	29.0	5.2
24. उत्तर प्रदेश	88.6	55.6	25.6	4.0
25. पश्चिम बंगाल	134.1	106.9	31.4	5.2
26. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	93.3	77.9	48.7	6.3
27. चंडीगढ़	59.7	57.0	62.8	17.0
28. चांदर और नगर हवेली	100.8	47.8	22.9	—
29. बमन और दीव	†	†	†	†
30. दिल्ली	84.7	78.5	47.8	11.9

1	2	3	4	5
31. लक्षद्वीप	146.2	118.4	49.4	—
32. पांडिचेरी	142.2	131.2	51.3	7.1
भारत	105.7	67.5	28.9	5.4

* यह चिन्ह इस बात का सूचक है कि प्राथमिक और मिडिल स्तरों पर क्रमशः 6-11 वर्षों और 11-14 वर्षों के आयु-वर्गों में दाखिलों की संख्या सम्मिलित है। इन प्रतिशतताओं में प्राथमिक स्तर पर छः वर्ष से नीचे तथा ग्यारह वर्ष से ऊपर तथा शिक्षा के मिडिल स्तरों पर 11 वर्ष से नीचे और 14 वर्ष से ऊपर के आयु-वर्गों में कम आयु के तथा अधिक आयु के बच्चों के दाखिले सम्मिलित हैं।

† गोन्ना में सम्मिलित

20-10-1994

Conference on Children's Rights

1611. SHRI GOPALSINH. G. SOLANKI: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether UNICEF has organised a Conference recently on Children's rights;

(b) if so, the conclusions arrived at;

(c) the reaction of Government thereto;

(d) whether there was a divergence in the views of Government and UNICEF on children's rights; and

(e) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPTT. OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT) (SHRI-MATHI BASAVA RAJESWAR): (a) The Indian Law Institute in collaboration with UNICEF and some other organisa-

tions, organised and International Conference on "Shaping the Future by Law-Children, Environment and Human Health" from 21-25 March, 1994 at New Delhi.

(b) The conclusions arrived at the Conference were in the areas of child, environment and health. The main recommendations in the area of child included review of child related legislation, introduction of Convention on the Rights of Child into the syllabi of graduate law courses, launching of media campaign, removal of children from bondage and all hazardous work places, creating greater awareness among law enforcement officers and the public, to address the specific needs of the girl child, sensitize the judicial institution and build alliances with decision makers.

(c) The recommendations have been forwarded to the concerned Ministries/Departments.

(d) and (e) There was no divergence of views.